प्रेस विज्ञप्ति
15-01-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों/मालिकों से संबंधित 2.25 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई-एसीबी, श्रीनगर द्वारा मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 आर/डब्ल्यू 120-बी के तहत परिभाषित अपराध के लिए दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर रेलवे, उधमपुर की एक रेलवे आउट एजेंसी (आरओए), जिसे स्वर्गीय राजेश ओबेरॉय द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित किया गया था, और जिसे रेल हेड प्वाइंट, उधमपुर से इफको के 3938.2 मीट्रिक टन वजन के डीएपी उर्वरक को नौगाम, श्रीनगर में स्थित इफको के बफर स्टॉकिस्ट तक पहुंचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि, 1024 मीट्रिक टन वजन का डीएपी उर्वरक गंतव्य बिंदु पर कभी भी वितरित नहीं किया गया था। इसके लिए माल ढुलाई शुल्क भी कंपनी द्वारा धोखाधड़ी से दावा किया गया था। इस प्रकार, मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने जानबूझकर 2.25 करोड़ रुपये (लगभग) (अप्राप्त 1024 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक की लागत अर्थात 2.07 करोड़ रुपये (लगभग) का नुकसान पहुंचाया और इफको/उत्तर रेलवे को धोखाधड़ी से 18.53 लाख रुपये (लगभग) का माल ढुलाई शुल्क का दावा किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि 3938.2 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक के परिवहन के लिए रेलवे अधिकारियों से मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में प्राप्त माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, जिसमें 1024 मीट्रिक टन वजन का गैर-वितरित उर्वरक भी शामिल है, को नियंत्रक/प्रवर्तक या कंपनी मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अर्थात स्वर्गीय राजेश ओबेरॉय द्वारा विभिन्न बैंक खातों के बीच बहुत ही जटिल तरीके से घुमाया गया था, ताकि फंड के मूल रूप/रंग और फंड के वास्तविक स्रोत का पता न लगाया जा सके और अंत में उत्तर रेलवे से प्राप्त धन को कंपनियों/फर्मों की व्यावसायिक गतिविधियों और ओबेरॉय परिवार की व्यक्तिगत जरूरतों में डायवर्ट/निपटान कर दिया गया। इसलिए, संपत्ति, दिल्ली के वजीराबाद में एक औद्योगिक भूखंड, जो राजेश ओबेरॉय और उनकी पत्नी रमा ओबेरॉय के नाम पर पंजीकृत है, को पीएमएलए के तहत अपराध की आय के रूप में पहचाना गया है और इसे अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, जिसका मूल्य 2.25 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।